

प्रेस नोट

दिनांक 18.08.2024

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की सोलर प्लेट व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद—

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-227 / 24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों-01. श्याम सिंह पुत्र राम उग्रह वर्मा नि0 ग्राम किरतापुर थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर, 02. प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र राम कोमल वर्मा नि0 ग्राम भावुकपुरवा मौजा बंजरिया थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद सोलर प्लेट व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.08.2024 को जल जीवन मिशन का काम कर रही कम्पनी एल0एण्ड0टी0 में आई0आर0 के पद पर नियुक्त अंकित सिंह पुत्र महेश सिंह नि0 ग्रा0 करुआ पो0 उसरेर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि रेवतागाड़ा साइट से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोलर पैनल की प्लेटे चोरी कर ली गयी है। वादी की तहरीर पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 17.08.2024 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों-01. श्याम सिंह पुत्र राम उग्रह, 02. प्रमोद कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद सोलर प्लेट व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. श्याम सिंह पुत्र राम उग्रह वर्मा नि0 ग्राम किरतापुर थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर।
02. प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र राम कोमल वर्मा नि0 ग्राम भावुकपुरवा मौजा बंजरिया थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-227 / 24, धारा 303(2) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद सोलर पैनल प्लेट |
02. 01 अदद मोटरसाईकिल |

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल |
02. हे0का0 आनन्द प्रकाश यादव |
03. हे0का0 राम मिलन चौहान |

मीडिया सेल, गोण्डा |

प्रेस नोट

दिनांक 18.08.2024

थाना को 0 देहात पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-227 / 24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों-01. श्याम सिंह पुत्र राम उग्रह वर्मा नि0 ग्राम किरतापुर थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर, 02. प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र राम कोमल वर्मा नि0 ग्राम भावुकपुरवा मौजा बंजरिया थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद सोलर प्लेट व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.08.2024 को जल जीवन मिशन कर रही कम्पनी एल0एण्ड0टी0 में आई0आर0 के पद पर नियुक्त अंकित सिंह पुत्र महेश सिंह नि0 ग्रा0 करुआ पो0 उसरेर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि रेवतागाड़ा साइट से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोलर पैनल की प्लेटे चोरी कर ली गयी है। वादी की तहरीर पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 17.08.2024 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों-01. श्याम सिंह पुत्र राम उग्रह, 02. प्रमोद कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद सोलर प्लेट व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- श्याम सिंह पुत्र राम उग्रह वर्मा नि0 ग्राम किरतापुर थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर।
- प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र राम कोमल वर्मा नि0 ग्राम भावुकपुरवा मौजा बंजरिया थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0-227 / 24, धारा 303(2) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद सोलर पैनल प्लेट |
02. 01 अदद मोटरसाईकिल |

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल |
02. हे0का0 आनन्द प्रकाश यादव |
03. हे0का0 राम मिलन चौहान |

मीडिया सेल, गोण्डा |

प्रेस नोट

दिनांक 18.08.2024

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर की गयी समीक्षा बैठक—

गोण्डा। आज दिनांक 18.08.2024 को कर्नलगंज तहसील सभागार कक्ष में जनपद में आगामी 23,24,25,30 एवं 31 अगस्त 2024 को प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होने वाली उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक एवं केन्द्र पुलिस अधिकारियों सहित सम्बन्धित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गयी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक को निर्देशित किया कि परीक्षा की जो नियम—शर्त हैं, उनके अनुरूप की परीक्षा कराएंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा—निर्देश दिए गए साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर हो रही सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो और सभी परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। महोदय द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों को परीक्षा केन्द्रों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी दी गयी और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो जाएं और सम्बन्धित अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क और जिम्मेदार रहें। महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए गोपनीय और ओपनली दोनों प्रकार की टीमें अपना काम कर रही हैं। स्पेशल सेल को एकिटव कर दिया गया है। संलिप्तता और गड़बड़ी की स्थिति में पुलिस कार्यवाही निष्पक्ष होगी और परीक्षा केन्द्र से सीधे जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा जनपद में दिनांक 23,24,25,30 एवं 31 अगस्त 2024 को प्रतिदिन दो पालियों (पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 5:00 बजे तक) में 13 परीक्षा केन्द्रों (भैया राघवराम पाण्डेय स्मारक श्री गांधी विद्या इण्टर कालेज, एल0बी0एस0 डिग्री कालेज(मेन कैम्पस/साइंस कैम्पस), फ0अ0अ0 राजकीय इण्टर कालेज, राजकीय पॉलीटेक्निक, जिगर मेमोरियल इण्टर कालेज, कस्तूरबा बालिका इण्टर कालेज रेलवे कॉलोनी, मारवाड़ इण्टर कालेल बड़गांव, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, शहीद आजाम सरदार भगत सिंह इण्टर कालेज, सरयू प्रसाद कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज) में होना सुनिश्चित है। जिसमें लगभग 52,000 छात्र प्रतिभाग करेंगे। हर परीक्षा केन्द्रों पर एच0एच0म0डी0 के साथ चेकिंग/फिस्किंग की जायेगी। भर्ती परीक्षा नकलविहीन, निष्पक्ष एवं सुचितापूर्ण सम्पन्न कराने हेतु हर परीक्षा केन्द्रों पर प्रशासनिक राजपत्रित स्तर के सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक को लगाया गया है। हर परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0सी0 कंट्रोल रूम की स्थापना की गयी है। जिन पर उ0नि0 स्तर के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जनपदीय कंट्रोल रूम की प्रभारी क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा को बनाया गया है। परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा व क्षेत्राधिकारी

तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह को बनाया गया है। हर परीक्षा केन्द्रों पर उनि०, आरक्षी व महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगायी गयी है। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु क्षेत्राधिकारी यातायात, प्रभारी निरीक्षक को० नगर व प्रभारी यातायात को पुलिस बल के साथ लगाया गया है जो भ्रमणशील रहकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखेंगे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.08.2024

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-605/24 धारा 64(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनवर पुत्र मोहर्म अली नि0 रेस्वा परसा गोड़री थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा को जय नारायण चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 17.08.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना को0 नगर में तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री के साथ विपक्षी अनवर अली द्वारा दुराचार किया गया है। वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 बृह्मनन्द द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अनवर को आज दिनांक 18.08.2024 को को0 नगर पुलिस टीम द्वारा जय नारायण चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अनवर पुत्र मोहर्म अली नि0 रेस्वा परसा गोड़री थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-605/24 धारा 64(1) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. व0उ0नि0 बृह्मनन्द
02. उ0नि0 अविनाश सिंह।
03. का0 संदीप भारती।
04. का0 राहुल वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.08.2024

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला—फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री उमेश्वर प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0—466 / 23, धारा 363,366,376(2)एन भादवि 5 / (जे)2 / 6 पाक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त छोटू उर्फ अजय कुमार गुप्ता पुत्र बच्चाराम निरो सगरा टेपरा मौजा नगवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा को जयराम जोत मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 15.09.2023 को थाना कटराबाजार क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को विपक्षी छोटू उर्फ अजय कुमार गुप्ता द्वारा शादी का झांसा देकर बहला—फुसलाकर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 18.08.2024 को थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त छोटू उर्फ अजय कुमार गुप्ता को जयराम जोत मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता द्वारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान के उपरांत धारा 366,376(2)एन भादवि 5 / (जे)2 / 6 पाक्सो ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. छोटू उर्फ अजय कुमार गुप्ता पुत्र बच्चाराम निरो सगरा टेपरा मौजा नगवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—466 / 23, धारा 363,366,376(2)एन भादवि 5 / (जे)2 / 6 पाक्सो ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 पेशकार यादव।
02. का0 विजेन्द्र कुमार।
03. का0 रजनीश कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 18.08.2024

थाना को० देहात पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को० देहात पुलिस टीम द्वारा मु०अ०सं०-३८९/२४, धारा ३०३(२)/३१७(२) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त देवनारायन तिवारी पुत्र स्व० श्याम लाल तिवारी नि० ग्रा० नरायणपुर ईंधा थाना को० देहात जनपद गोण्डा ग्राम नरायणपुर ईंधा से गिरफ्तार कर लिया किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.08.2024 को वादी राजकुमार तिवारी पुत्र शिवबिहारी तिवारी नि० ग्राम दसियापुर डिहवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को० देहात में तहरीर दी गयी कि शिवाला चौराहा पर स्थित उनकी चाय की दुकान से धर्मराज व उसकी साथी अभियुक्त द्वारा टिल्लू पम्प चोरी किया जा रहा था। चोरी करने के दौरान अभियुक्त धर्मराज को पकड़ लिया गया व उसका साथी अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। सूचना पर थाना को० देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर धर्मराज को जेल भेजा गया था तथा साथी अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। आज दिनांक 18.08.2024 को प्रकाश में आये अभियुक्त देवनारायण तिवारी को ग्राम नरायणपुर ईंधा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. देवनारायण तिवारी पुत्र स्व० श्याम लाल तिवारी नि० ग्रा० नरायणपुर ईंधा थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-३८९/२४, धारा ३०३(२)/३१७(२) बीएनएस थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० अरविन्द कुमार राय।
02. है०का० योगेन्द्र मौर्य।
03. का० संदीप यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 18.08.2024

परिवार परामर्श केन्द्र में 05 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजी:-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुड़े जोड़ों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 05 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया ।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-

श्री गंगाधर शुक्ला, श्री शशि भारती, श्री राजमंगल मौर्य, म0आ0 शाहिना बानों आदि उपस्थित रहे ।

मीडिया सेल, गोंडा।